# Form No. III

# फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**राजेन्द्र सुखवाल** बनाम **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़**

**कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

| किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** | नं0 **045** | सन् **2023** |
|---|---|---|

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.04.2023 | सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन पत्र दिनांक **15.03.2023** के संबंध में प्रथम अपील प्रेषित की गई है। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। यहॉ उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिनांक 15.03.2023 को प्रस्तुत किया गया है। अपील मेमों के साथ संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2023 सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को दिनांक 17.03.2023 को प्रस्तुत किया गया है आवेदन की छाया प्रति पर प्राप्ति रसीद में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के दिनांक 17.03.2023 के हस्ताक्षर है। एवं अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 01.05.2023 को प्रेषित किया गया जो कि इस न्यायालय को दिनांक 12.04.2023 को प्राप्त हुआ है। अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रावधित किया गया है कि धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराएगा। यहॉ अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के निपटारा के लिए निर्धारित समय-सीमा आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस है। इसके साथ ही अधिनियम 2005 की धारा 19(1) में प्रावधित किया गया है कि धारा 7 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीत कोई विनिश्चिय प्राप्त नहीं हुआ है तो अपील कर सकेगा। हस्तग प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 15.03.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 17.03.2023 को प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदन के निपटारा के लिये अधिनियम 2005 में निर्धारित समयावधि का अवसान नहीं होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2023 आवेदन प्रस्तुत दिनांक 17.03.2023 बाबत् प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील असामयिक है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील ग्रहण योग्य नहीं है, अतः हस्तगत यह प्रथम ग्रहण योग्य नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज की जाती है एवं न्यायालय हित में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है, अधिनियम 2005 में प्रावधित समयावधि के व्यतीत होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विनिश्च प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कराने के लिये अपीलार्थी स्वंतत्र है।<br>अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।<br><br>-S/D-<br>(अरविन्द कुमार पोसवाल)<br>लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी<br>जिला कलक्टर<br>चित्तौड़गढ़<br>12.04.2023 | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official